

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी- श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या- 30/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/48

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नोरत पुत्र बीरदाराम जाति रेगर निवासी बाजवास तहसील परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन।		1. उप तहसीलदार पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन। 2. पटवारी हल्का बाजवास।

उपरिथत:-

1. श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 अधिनियम के तहत विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 26/2024 सरकार बनाम नोरत में निर्णय दिनांक 18.03.2024 को न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा ने पारित किया।

—:निर्णय:—

दिनांक: 04.06.2024

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि:-

1. अपीलांट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है अपीलांट का माठ की चार दिवारी, तारबन्दी मय बाड़ा है। अपीलांट को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना, उक्त निर्णय पारित किया गया है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय डीडवाना-कुचामन को जनसुनवाई पंचायत समिति परबतसर में हुई तब ज्ञापन भी दिया था। बाद दिनांक 18.03.2024 को उप तहसीलदार पीलवा को भी उक्त ज्ञापन सम्बन्ध में जांच लम्बित होने व सुनवाई का अवसर देने बाबत् प्रार्थना पत्र दिया था फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.03.2024 को ही निर्णय पारित कर दिया। जिससे अपीलांट असन्तुष्ट होने पर अपील पेश कर रहे हैं।
2. उक्त आदेश पारित करने में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सारभुत साक्ष्य को नजर अन्दाज किया तथा अपीलान्ट को दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जबकि अपीलान्ट के पास पट्टा है। जिसका मेरा पिता पट्टरधारी है।
3. उक्त जमीन नये खसरा नम्बर 184 रकबा 2.6700 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 115/2 है। उक्त जमीन के पुराने खसरा नम्बर मूल 115 थे, जिसका तरमीम करके, किरम को 1983 ईसवी में तहसीलदार परबतसर द्वारा गोचर किया गया था जबकि सन् 1948 ईसवी से उक्त जमीन गोचर नहीं थी बंजर थी। उक्त भूमि का रकबा लगभग 59 बीघा था, जिसमें लगभग 43 बीघा भूमि आबादी में



जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

नियमन हो गया। बाद में भी शेष जमीन में से उक्त भूमि को गोचर करने के बाद खातेदारी व आबादी में नियमन किया गया था। तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी परबतसर द्वारा आबादी में संपरिवर्तन का आदेश किया था। शेष बची हुई जमीन खसरा नम्बर 115/2 नये खसरा नम्बर 184 भी आबादी में संपरिवर्तन योग्य है। क्योंकि उक्त जमीन कभी भी कृषि कार्य हेतु काम में नहीं ली गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत अब्दुल रहमान का प्रकरण भी अपीलांत के पक्ष में चस्पा होता है। उक्त जमीन गांव बाजवास के बस स्टेण्ड व आबादी के बिलकुल सटकर है। उक्त जमीन में अन्य लोगों के भी प्लाट व मकानात है। उक्त जमीन आज दिन तक कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं आकर गौर कृषि कार्य अर्थात रहवास व आवासीय व बाड़े के रूप में घरेलु उपयोग हेतु काम में ली गई है। जिस पर विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। उक्त जमीन का नियमन की सिफारिश की कार्यवाही की जानी चाहिये थी लेकिन विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बाजवास की शिकायत पर अतिक्रमण मानकर गलत निर्णय किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

4. उक्त जमीन में वर्षों से हक व कब्जा निरन्तर व लगातार पट्टाधारी का रहा है। तथा इससे पूर्व में भी सन् 1948 से रहा है। पट्टा आज दिन तक निरस्त नहीं किये गये हैं। पट्टा अस्तित्व में रहते अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही का औचित्य नहीं है। जो अपास्त योग्य है।
5. उक्त जगह पट्टे व भूमि भूखण्ड में ग्राम पंचायत बाजवास को पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि उक्त जमीन बाबत् सरपंच ग्राम पंचायत बाजवास द्वारा पट्टे जारी किये थे। जिनको सुना जाना आवश्यक था। इसलिए भी उक्त निर्णय भी विधिनुसार नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। ग्राम पंचायत को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। ग्राम पंचायत को सुने बिना उक्त आदेश शुन्यहीन व अप्रभावी है। जिसे अपास्त किया जाना चाहिये था, तथा ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 18.03.2024 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्त की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में किये गये तथ्यों को दोहराया तथा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

1. RRD 2002 पेज 60
2. RLW 2008(1) RJ 670 (H.C.)
3. RRD2003 पेज 66
4. RRD 2009 पेज 444
5. RRD 2009 पेज 341 (H.C.)
6. RLW 2006 (1) पेज 158 (H.C.)



जिला कलक्टर
जिडवाना-कुचामन

7. RRD 2002 पेज 340
8. RRJ 2003 (2)पेज 1303
9. RRD 2002 पेज 583
10. RRD 2004 पेज 19

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्त की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा द्वारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत चारागाह भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश जारी किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्त का यह कथन है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में चारागाह दर्ज है परन्तु पूर्व में यह भूमि बंजर थी तथा इसे सहवन से चारागाह दर्ज किया गया। अपीलान्त अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार ही नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलान्त का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्त अतिक्रमी की नियत से नहीं है बल्कि नियमन के अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलाधीन आदेश खसरा सं० 184 पर किस्म चारागाह के बाबत जारी किया गया। राजस्व रेकर्ड व वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075-78 में चारागाह के रूप में दर्ज है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा इस खसरा को सहवन से चारागाह दर्ज होना बताया। परन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज चारागाह भूमि को आबादी भूमि में संपरिवर्तन राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा चारागाह भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1968 को पट्टा जारी करने का कथन किया है। परन्तु इसके समर्थन में न तो पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई न ही ग्राम पंचायत का रिकोर्ड अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत किया न ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अपीलान्त बार-बार इस तथ्य को दोहराया कि उक्त भूमि को चारागाह दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया। परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ही यह भी प्रमाणित हो रहा है कि दिनांक 23.11.1966 को खसरा नम्बर 115 में से 30 बीघा भूमि चारागाह में दर्ज करने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये जिस पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा इसे चारागाह दर्ज करने के आदेश दिये गये। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि 1966 से ही चारागाह के रूप में दर्ज है। राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार के पट्टे जारी ही नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में आबादी भूमि के पट्टे होने के



9
जिला कलक्टर
जैडवाना-कुचामन

कथन के आधार पर किसी प्रकार की राहत प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। भू-धारक तहसीलदार है।

धारा 91 राज0 काश्तकारी अधिनियम के उप नियम 06 के तहत Explanation में अंकित है कि **Explanation** – For the purpose of this sub-section, "Land" means- (i) a pasture land as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no. 3 of 1955), राज0 टेनेन्सी एक्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन 28 के अनुसार "Pasture land" shall mean land used for the grazing of the cattle of a village or villages or recorded in settlement records as such at the commencement of this Act or thereafter reserved as such in accordance with rules framed by the state government.

अतः इसके अनुसार चारागाह भूमि की स्थिति में तहसीलदार को कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। चारागाह भूमि राजकीय सार्वजनिक भूमि है न कि पंचायत की भूमि है न ही पंचायत को पक्षकार बनाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया। उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांत उक्त अपील पर लागू नहीं होते हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आराजी नं0 184 चारागाह भूमि है। अपीलान्त उस पर अवैध अतिक्रमी के रूप में काबिज है। चारागाह भूमि धारा 16 राज0 टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की स्वकृति/अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण नहीं है। अतः अपील अलान्त खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 04.06.2024 को सुनाया गया।



जिला कलक्टर
(बालकुंभुद असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन